<u>न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2,</u>
<u>अपर सिविल जज(सी०डि०), रामपुर।</u>

विविध वाद संख्या–61/2026
CNR No–UPRP04–009325–2026
Reg.No–359/2026

योगेश कुमार बनाम रीना।
धारा–173(4) बी०एन०एस०एस०,
थाना–स्वार, जनपद–रामपुर।

<u>दिनांक–13.05.2026</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पत्रावली आदेशार्थ नियत है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० में वर्णित तथ्यों के सम्बन्ध में प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से कथन किया है कि "प्रार्थी सामाजिक कार्यों में रूची रखता है, और समाज के कार्यों में वढ़चढ़कर भागीदारी करता है। घटना कुछ माह पूर्व की है, एक महिला रीना पत्नी रामबिलास निवासी उदयपुर जागीर, तहसील मिलक, जिला रामपुर प्रार्थी के पास आयी और रोते हुए गिढ़गिढ़ाते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और उसके पति ने दूसरी शादी की थी, जिसकी बीमारी के दौरान मृत्यु हो चुकी है। अब वह गरीबी व तंगी के कारण आर्थिक व मानसिक रूप से ग्रस्त व परेशान है और कुछ मदद करने की गुहार लगायी, जिस पर प्रार्थी ने उसकी देयनीय स्थिति को समझकर आर्थिक रूप से मदद की और अपने घर में ही हो रहे कन्स्ट्रक्शन के कार्यों में मजदूरी के लिए रख लिया। इस तरह प्रार्थी के घर में वह आने जाने लगी और चोरी चोरी घर में आते जाते बैठते उठते वीडियो बना ली तथा साथ ही धीरे–धीरे फोन पर मीठी–मीठी बाते करते हुए रिकार्डिंग कर ली। अब गलत नियत से बनायी गयी वीडियो, रिकार्ड ऑडियो को सार्वजनिक कर बदनाम करने की धमकी देते हुए अवैध धन की मांग करती है। प्रार्थी से मदद के नाम पर 2,50,000/– रुपये ले चुकी है, किन्तु अभी भी रीना की अवैध धन की मांग नहीं रूक रही है और फोन कर 10 लाख रुपये की मांग करती है। प्रार्थी अवैध मांग की वाट्सएप चेटिंग प्रार्थना पत्र के साथ संलगन कर रहा है। मांग पूरी न करने पर ब्लैक मेल करते हुए वीडियो व ऑडियो के सहारे झूठे मुकदमो में फंसाने की धमकी देती है। रीना ने प्रार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रखा है जिससे प्रार्थी मानसिक रूप से तंग व परेशान है जिसकी शिकायत थाना स्वार रामपुर में की किन्तु थाना पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी, तब प्रार्थी ने दिनांक–02.04.2026 को एक प्रार्थना पत्र श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रामपुर को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया लेकिन उस पर भी कोई सुनवाई नही की गयी।"

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में थाने से आख्या आहूत की गई। थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। उक्त प्रकरण के संबंध में थाने से प्रारंभिक जांच आख्या आहूत की गयी। थाने से प्राप्त प्रारंभिक जांच आख्या अवलोकित की गयी।

प्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में स्वयं का शपथपत्र, छायाप्रति प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक रामपुर, छाया प्रति डाक रसीद व छाया प्रति आधार कार्ड, मोबाइल पर चैटिंग की छायाप्रति आदि प्रपत्र पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी के कथनों में प्रथम दृष्टया गंभीर संज्ञेय अपराधों के आरोप परिलक्षित होते हैं, जिनका परीक्षण केवल प्रारम्भिक जाँच आख्या के आधार पर इस स्तर पर अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। यह भी उल्लेखनीय है कि पुलिस द्वारा अंकित कथित स्वतंत्र साक्षियों के बयानों की सत्यता, उनकी घटना स्थल से निकटता तथा वास्तविक जानकारी का परीक्षण साक्ष्य के स्तर पर ही किया जा सकता है, न कि इस प्रारम्भिक चरण में। मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय की राय में इस प्रकरण से संबंधित घटना की तिथि, समय, घटनास्थल व साक्ष्य, सभी बातों का संज्ञान प्रार्थी को है। प्रार्थी

अपने साक्ष्य से मामले को साबित कर सकता है। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ एजेंसी से इस स्तर पर अन्वेषण कराया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्नुसार प्रार्थना पत्र के प्रकथनों व उपलब्ध प्रपत्रों के आधार पर एवं **सुखवासी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2007(6) ए० एल० जे० 424 में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद** द्वारा किये गये संप्रेक्षणों के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी०एन०एस०एस० परिवाद के रूप में दर्ज हो। तदनुरूप प्रार्थना पत्र निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा–223 बी०एन०एस०एस०दिनांक–15.06.2026 को पेश हो।

दिनांक 13.05.2026

(आशीष कुमार)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्याय कक्ष सं० 2,
अपर सिविल जज(प्रवर वर्ग) रामपुर।
J.O. Code–UP2579